195 35 विसंगति समिति की सिफारिशों पर आधारित स्पष्टीकरण : सीपीएसई के कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन संबंधी मुद्दे (2007 वेतन संशोधन)

अधोहस्ताक्षरी को डीपीई के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा '18' का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ आगामी विशिष्ट मुद्दों/समस्याओं पर विचार करने के लिए विसंगति समिति का प्रावधान किया गया है।

2. जहाजरानी मंत्रालय ने स्पष्टीकरण के लिए कुछ मुद्दे उठाए थे। इन मुद्दों को उपर्युक्त विसंगति समिति के समक्ष रखा गया। विसंगति समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

I. <u>स्वयं का पट्टा</u>

(क) प्रत्येक सीपीएसई में एक किराया मूल्यांकन समिति (आरएसी) होनी चाहिए, जो पट्टायुक्त/स्वयं पट्टा आधार पर आवासों के लिए पात्र हैं, ऐसे कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों की श्रेणियों के लिए बाजार किराए का मूल्यांकन करेगी और कंपनी की भुगतान क्षमता के आधार पर प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा का भी निर्धारण करेगी। आरएसी में उपयुक्त समझे जाने पर वित्त, मानव संसाधन, सिविल इंजीनियरिंग, कानून आदि भागों के सदस्यों को शामिल किया जा सकता है।

(ख) आरएसी किराए की वसूली का भी निर्धारण करेगी, जिसके लिए बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के लिए यथा लागू (मूल वेतन का 10%) डीपीई के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) सीटीसीके प्रयोजन से डीपीई के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 8 के अनुसार मूल वेतन के 30% को आवास व्यवस्था पर व्यय के रूप में माना जाना चाहिए। इसे एक सीमा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए और इसलिए किसी पट्टायुक्त आवास के लिए इसे अधिकतम सीमा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

(घ) सीपीएसई के निदेशक मंडल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वयं पट्टा युक्त आवास किसी भी कर्मचारी के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत न बन जाए। डीपीई के दिनांक 05.06.2003 और 20.05.2009 में बताई गई सावधानियों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

II. <u>अस्पताल, महाविद्यालय, विद्यालय, क्लब आदि पर व्यय</u>

अस्पताल, महाविद्यालय, विद्यालय, क्लब आदि पर व्यय का प्रतिशत वास्तविक व्यय के निकट होना चाहिए और प्राथमिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

III. <u>छुट्टी का नगदीकरण</u>

(क) डीपीई के दिनांक 05.08.2005 के कार्यालय ज्ञापन में अर्जित छुट्टी की अधिकतम संख्या का प्रावधान किया गया है, जिनका संचय किया जा सकता है। सीपीएसई को अपने किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों से अधिक की अर्जित छुट्टी का नगदीकरण करने की अनुमति नहीं है।

कर्मचारियों को डीपीई के दिशानिर्देशों के तहत यथा विनिर्दिष्ट 300 दिन से अधिक की अर्जित छुट्टी संचित करने की अनुमति नहीं है।

(ख) आकस्मिक छुट्टी का किसी भी सूरत में नगदीकरण नहीं किया जाना चाहिए और वे कैलेंडर वर्ष के अंत में समाप्त हो जाएंगी।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2 (32)/10–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–**XXIII**/2009, दिनांक 26 अक्तूबर, 2010)

*****